फा. सं.19030/1/2017-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 04 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: यात्रा भत्ता नियम - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना।

यात्रा भत्ते के बारे में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 का समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, लेवल 13क में अधिकारियों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता हकदारियों के संबंध में इस विभाग को अनेक मामले प्राप्त हो रहे हैं। लेवल 13क (संशोधन-पूर्व ग्रेड वेतन - 8900/- रुपए) दिनांक 15.06.2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 592(अ) के तहत वेतन मैट्रिक्स में शामिल किया गया है।

2. इस विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि वेतन लेवल 13क (संशोधन-पूर्व ग्रेड वेतन - 8900/- रुपए) में अधिकारियों की यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता हकदारियां इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में वेतन लेवल 13 (संशोधन-पूर्व ग्रेड वेतन - 8700/- रुपए) के अधिकारियों की यथा-उल्लिखित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता हकदारियों के समान होंगी ।

निर्मला देव
04/09/2017

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।